217

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिल्लकार्जुन): (क) उन भूतपूर्व संतद सब्स्थों को दूसरे दर्जें में एक परिचर सहित भारतीय रेलों पर किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक पहले दर्जें/बानानुकूल शयनयान में यात्रा करने के लिए रेलवे कार्ड पास जारी किये जाते हैं जो संसद से पेंशन लेने के पाल हैं। एक समय में एक वर्ष की अविध के लिए ये पास वैध होते हैं।

(ख) 31-10-1992 को 783 भूतपूर्व संसद सदस्यों को ऐसे रेजवे पास बारी किए गए हैं।

बोकारो ग्रलेप्यो एक्सप्रेंस के साथ बातानुकृतित स्लीपर विश्वा लगाया जाना

1524. श्री गया सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वोकारो अलेप्यी एक्सप्रैस में ए० सी० स्लीपर डिब्बा लगाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; ग्रीर
- ं (ख) क्या सरकार पटना से टाटा बोकारो स्टील से होते हुए कोई सुपरफास्ट रेनगाड़ी चलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ब्रीर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंदालय में राज्य मंत्री (श्री मिल्लकार्जुन): (क) जी नहीं, बहरहाल आगामी वर्षों में सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के पहले दर्जे के सवारी डिब्बों को चरणबद्ध आधार पर हटाया जायेगा और उनके स्थान पर बातानुकूल शयनयान लगाये जायेंगे।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, यह न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और नही परिचालनिक दृष्टि से ब्यायहारिक ! गया और राजगीर रे**लवे लाइन का** जोड़ा जाना ।

1525. श्री गया सिंह: क्या रेल नंबी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गया और राजगीर रेसने लाइनों को जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और
- (ख) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में कब तक कोई निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

रेल संस्रालय में राज्य मंत्री (व्ही मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । पटना से हिल्ली तक राजधानी एक्सजेंस

1526. की गया सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पटना से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने का विचार रखती है; यदि हां तो कब तक, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और
- (ख) क्या सरकार की पटना-गया सिंगल लाइन के दोहरी लाइन में बदलने की कोई योजना है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महिलकार्जुन): (क) जी नहीं, परिचालनिक और संसाधनों की कठिनाई के कारण।

(ख) जी नहीं, इस लाइन पर यातायात अभी इसके दोहरीकरण को औक्तियपूर्ण सिद्ध करने के अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंचा है।

Travel of Ex-MPs in First Class A.C.

1527. SHRI N.E. BALARAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to enable the ex-MPs to travel in First class A.C. in case his companion is not travelling